

प्रश्न सं. [क. 246]

तारांकित प्रश्न क्रमांक-246-परिशिष्ट-'अ'

स.क्र.	प्रकरण कं. एवं आदेश दिनांक	परियोजना का नाम	अधिरोपित शास्ति
1	23-59-0011 / 05-09-2023	"प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत 532 EWS आवास, 80 L.I.G. 29 E.W.S. प्लॉट करखेड़ा"	रू. 10 हजार की शास्ति अधिरोपित की गयी है। 1. अनावेदक को उक्त परियोजना में बुकिंग लेने एवं परियोजना की संपत्ति पर आवास एवं भू-खण्ड के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जाता है। 2. अनावेदक उक्त परियोजना से संबंधित भू-संपदा के संबंध में कोई विक्रय पत्र अथवा हस्तांतरण पत्र निष्पादित नहीं करेगा। 3. अनावेदक उक्त परियोजना से संबंधित किसी भी भू-संपदा के संबंध में किसी भी तृतीय पक्ष का हित किसी भी प्रकार से उत्पन्न नहीं करेगा। 4. अनावेदक द्वारा यदि किसी अन्य परियोजना हेतु भविष्य में पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा पंजीयन के पूर्व इस परियोजना की स्थिति को प्राधिकरण के संज्ञान में लाया जायेगा।
2	23-59-0031 / 18-04-2024	"भौरी"	रू. एक लाख की शास्ति अधिरोपित की गयी है। 1. अनावेदक को उक्त परियोजना में बुकिंग लेने एवं परियोजना की संपत्ति पर आवास एवं भू-खण्ड के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जाता है। 2. अनावेदक उक्त परियोजना से संबंधित भू-संपदा के संबंध में कोई विक्रय पत्र अथवा हस्तांतरण पत्र निष्पादित नहीं करेगा। 3. अनावेदक उक्त परियोजना से संबंधित किसी भी भू-संपदा के संबंध में किसी भी तृतीय पक्ष का हित किसी भी प्रकार से उत्पन्न नहीं करेगा। 4. अनावेदक द्वारा यदि किसी अन्य परियोजना हेतु भविष्य में पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा पंजीयन के पूर्व इस परियोजना की स्थिति को प्राधिकरण के संज्ञान में लाया जायेगा।
3	23-59-0032 / 18-04-2024	"प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत नीलबड़ दशहरा मैदान के पास प्रथम आओ प्रथम पाओ"	रू. एक लाख पच्चीस हजार की शास्ति अधिरोपित की गयी है। 1. अनावेदक को उक्त परियोजना में बुकिंग लेने एवं परियोजना की संपत्ति पर आवास एवं भू-खण्ड के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जाता है। 2. अनावेदक उक्त परियोजना से संबंधित भू-संपदा के संबंध में कोई विक्रय पत्र अथवा हस्तांतरण पत्र निष्पादित नहीं करेगा। 3. अनावेदक उक्त परियोजना से संबंधित किसी भी भू-संपदा के संबंध में किसी भी तृतीय पक्ष का हित किसी भी प्रकार से उत्पन्न नहीं करेगा। 4. अनावेदक द्वारा यदि किसी अन्य परियोजना हेतु भविष्य में पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा पंजीयन के पूर्व इस परियोजना की स्थिति को प्राधिकरण के संज्ञान में लाया जायेगा।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

उपमहो
नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्र.
भोपाल